



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

कुल 08 जिला बदर अभियुक्त अवैध तमंचा व स्मैक सहित गिरफ्तार

दिनांक 05.04.21

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने कुल 08 जिला बदर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से कुल 01 तमंचा व 02 कारतूस एवम् 21 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किये गये जिलाबदर अभियुक्तगण को जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा छः माह के लिये जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया था। इन जिलाबदर घोषित अपराधियों के विरुद्ध अभियोग अंतर्गत धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम एवम् शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है। थानावार कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

- थाना महोली द्वारा 21 ग्राम अवैध स्मैक सहित जिला बदर गिरफ्तार-** जिला बदर अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र सुभाली निवासी चितहला थाना महोली जनपद सीतापुर के कब्जे से 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 173/21 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं मु0अ0सं0 174/21 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना हरगांव द्वारा अवैध तमंचे सहित जिला बदर गिरफ्तार-** 1.राम मनोहर उर्फ नींबू पुत्र राम लखन निवासी लक्ष्मनपुरवा थाना हरगांव जनपद सीतापुर को 01 अदद जमंचा ,02 अदद कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया है। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 221/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 222/21 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना खैराबाद द्वारा 01 जिला बदर गिरफ्तार-** खैराबाद पुलिस टीम ने जिला बदर अभियुक्त अनूप कुमार पुत्र कमलेश बाज ग्राम भगौतीपुर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 155/21 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

4. **थाना रामकोट द्वारा 03 जिला बदर गिरफ्तार-** 1.ठाकुर पुत्र शत्रोहन नि0 कुचकापुर थाना रामकोट 2.धर्मपाल पुत्र किशोरी लाल नि0 ग्रा0 इन्द्रौली थाना रामकोट 3.रब्बानी पुत्र मौला बक्श निवासी बिशुनपुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 149/21,150/21,151/21 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
5. **थाना लहरपुर द्वारा 02 जिला बदर गिरफ्तार-** 1.सुशील पुत्र राम प्रसाद पासी 2.विपिन पुत्र राम प्रसाद पासी निवासीगण रुकनापुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 187/21 धारा धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।